30/5/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम करजो पटवार मण्डल बेगा की नांगल स्थित वादग्रस्त आराजी खाता स0 34 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र प्रभू दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र प्रभू है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का बोलता नाम प्रकाश पुत्र प्रभू गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रतिया पेश की जिनमे प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र प्रभू है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम प्रकाश पुत्र प्रभू गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र प्रभू है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रतियां से इसकी पुष्टि होती है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन रामसिंह यादव पुत्र रुघाराम यादव, रामसिंह यादव पुत्र रुघाराम यादव निवासी करजो के लिखित व तरदीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिनसे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पाटन को निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
करजो	खाता सं0 34	प्रकाश पुत्र प्रभू	ओमप्रकाश पुत्र प्रभू

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फेसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी